मारपीट में ढाई साल की कैद, एक हजार जुर्माना

अदालत से

श्रावस्ती। मल्हीपुर के ग्राम बरगदहा में सात वर्ष पूर्व हुए मारपीट के मामले में सोमवार को एडीजे न्यायालय ने अपना फैसला सुनाया। अपर सत्र न्यायाधीश उमेश कुमार ने आरोपी मनीराम को दोषी मानते हुए ढाई साल की कैद व दो हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड न अदा करने पर आरोपी को तीन माह अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

विशेष लोक अभियोजक प्रेम कुमार मिश्रा ने बताया की ग्राम बरगदहा में छह मई 2017 को रामनरेश को गांव के ही मनीराम धोबी ने मारापीटा था। रामनरेश की तहरीर पर मल्हीपुर पुलिस ने मनीराम के विरुद्ध मारपीट का मामला दर्ज कर न्यायालय पर आरोप पत्र भेजा था। (संवाद)

सुरक्षा के लिए फ्लैग मार्च किया

श्रावस्ती। लोकसभा चुनाव व आदर्श आचार संहिता के मद्देनजर पुलिस व बीएसएफ की ओर से लगातार अलग अलग क्षेत्रों में फ्लैग मार्च किया जा रहा है। साथ ही विभिन्न घटनाओं की रोकथाम के लिए पिकेट ड्यूटी भी लगाई जा रही है।

सोमवार को प्रभारी निरीक्षक सोनवा ने पुलिस व बीएसएफ की संयुक्त टीम के साथ नासिरगंज में फ्लैग मार्च कर संवेदनशील और अतिसंवेदनशील मतदान केन्द्रों का जायजा लिया। साथ ही साथ लोगों को सुरक्षा का एहसास दिलाया। ग्रामीणों से संवाद कर शत प्रतिशत मतदान के लिए जागरूक किया और निर्भीक होकर मतदान करने को प्रेरित किया।

नासिरगंज में फ्लैग मार्च करते सुरक्षा बल के जवान

लोगों से कहा कि बिना किसी डर व दबाव के मतदान करें। यदि कोई डराए या धमकाए तो पुलिस को सूचित करें। ऐसे लोगों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी।